ब न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही, हजारीबाग

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या 02/2020

रंजू देवी –बनाम–राज्य

तारिख	–:आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर:–	अभियुक्ति
	आवेदिका रंजू देवी पति सूचित कुमार यादव, ग्राम कुरहागड़ा, थाना कटकमसांडी, जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित किया है कि मौजा–ताजपुर, थाना–चौपारण, थाना नं0–61, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 105, प्लॉट में कुल प्लॉट 652 रकवा 2.25 डी0 बिक्रय पत्र सं0 2023 दिनांक 25.07.2018 द्वारा बिक्रेता पिंकी देवी से भूमि क्रय की गयी है, प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज हेतु आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था जिसके आलोक में दाखिल खारिज वाद सं0–702 R27/2018-19 द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण ने दाखिल खारिज को अस्वीकृत कर दिया। आवेदिका द्वारा अंचल अधिकारी, चौपारण द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृति का कारण राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अनुसार नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अंचल का मंतव्य ऑनलाईन में सेल डीड अपलोड है। राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया गया है कि नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। राजस्व कर्मचारी का मंतव्य आवेदक से सम्पर्क कर मूल कागजात की मांग की गयी उन्होनें कागजात जांच जमा नहीं किया, UPLOAD PDF FILE CURRUPT है। अतः नामांतरण आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। इस कार्यालय के पत्रांक 156, दिनांक 15.10.2020 द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी चौपारण से की गयी थी जिसके आलोक में अंचल अधिकारी के पत्रांक 1181, दिनांक 17.12.2020 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–ताजपुर, थाना–चौपारण, थाना नं0–61, जिला– हजारीबाग के अन्तर्गत खाता नं0 105, प्लॉट में कुल प्लॉट 652 रकवा 2.25 डी0 रैयती खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि आवेदिका को विक्रय पत्र केवाला द्वारा हासिल है। आवेदिका का दस्तावेज ऑनलाईन UPLOAD PDF FILE CURRUPT होने के कारण सम्पर्क कर मूल कागजात की मांग की गयी लेकिन आवेदिका द्वारा जांच हेतु जमा नहीं किया गया ततपश्चात नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अतएव रंजू देवी पति सूचित कुमार यादव, ग्राम कुरहागड़ा, थाना कटकमसांडी, जिला हजारीबाग को निदेशित किया जाता है कि आवश्यक राजस्व कागजात अंचल कार्यालय चौपारण में जमा करना सुनिश्चित करें। अंचल अधिकारी, चौपारण को आदेश दिया जाता है कि आवेदिका के प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा एवं जमा किये गये राजस्व कागजात जाँचोपरांत सही पाया जाता है तो नियमानुसार	

D:\LRDC new\Mutation Appel.docx

ऑनलाईन प्रविष्टि करते हुए पंजी–II में प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी आवेदिका के नाम से खोलते हुए शुद्धि पत्र एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बरही, (हजारीबाग)